संख्या-85/2018/1466/सैंतीस-2-2018-1(42)/2000

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-16 अगस्त, 2018

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में मा0 पशुधन मंत्री जी के विवेकाधीन कोष अनुदान मद से आर्थिक सहायता/अनुदान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-2082/बजट/29(5)/30/16/2018-19, दिनांक-03.04.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्न विवरणानुसार रू0-0.20 लाख (रूपये बीस हजार मात्र) की धनराशि आवंटित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0	नाम	पता	प्रयोजन जिस हेतु आर्थिक सहायता दी गई है	आवंटित धनराशि (रूपये में)
1	श्रीमती राजवती पत्नी स्व0 पप्पू प्रजापति	ग्राम-रामगढ़ (उम्मरगढ़), ब्लाक-टूण्डला, जनपद-फिरोजाबाद	बकरी क्रय हेतु	10000.00
2.	श्रीमती मीना पत्नी स्व0 शोभा राम	ग्राम-ओखरा, ब्लाक-नारखी, जनपद-फिरोजाबाद	बकरी क्रय हेतु	10000.00
योग-				**20000.00**

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2013-मंत्रि परिषद-105-मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-03-पशुधन मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-85/2018/1466(1)/सैंतीस-2-2018- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. सम्बन्धित लाभार्थी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in